अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–60/2020 –1652 /पटना, दिनांक–01/06/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नालंदा जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 09 पथ एवं चार पुल निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नालंदा जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 09 पथ एवं 04 पुल निर्माण योजनाओं जिसकी लम्बाई क्रमशः 1.975, 1.88, 0.60, 1.714, 0.89, 0.998, 1.620, 1.69, 0.58 कि0 मी0 एवं 27.35, 20.00, 12.60, 12.60 मी0, एवं कुल राशि रू0 1672.1510 लाख (सोलह करोड़ बहत्तर लाख पंद्रह हजार एक सौ रू0 मात्र) है–हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट–1

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	कार्य अंचल का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि0 मी0 में)	पुल की लम्बाई (मी0 में)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nalanda	Asthawan	Nalanda	Bihar sharif	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल बिहारशरीफ के अधीन अस्थावाँ प्रखंड के आरे–नुआवाँ पथ के नुआवा से नुआवाँ सरबहदी उच्च स्तरीय पुल का पहुँच पथ निर्माण कार्य।	1.975		145.614	13.553	159.1670
2	Nalanda	Rahui	Nalanda	Bihar sharif	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल बिहारशरीफ के अधीन रहुई प्रखंड के ग्राम सैदी के बीच मध्य विधालय सैदल्ली एवं शिव मंदिर के निकट पचाने नदी पर आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कार्य।		27.35	483.26	9.66	492.9200

1/6/2020

Scanned with CamScanner

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	कार्य अंचल का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि० मी० में)	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
3	Nalanda	Harnaut	Nalanda	Harnaut	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हरनौत के अधीन एन० एच०-31 पोलटेकनिक कॉलेज के बगल से गोसाई बिगहा तक पथ का निर्माण।	1.88		107.919	15.098	123.0170
4	Nalanda	Tharthari	Nalanda	Harnaut	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हरनौत के अधीन थरथरी प्रखंड के खरजम्मा से बड़ी मठ पथ में नारायण गाँव से सटे पलुआ नदी में ध्वस्त पुल के स्थान पर नया पुल का निर्माण कार्य।		20.00	33.726	0.070	33.79600
5	Nalanda	Ekangarsarai	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन एकंगरसराय प्रखंड के क्षेत्राधीन कोरवा-मड़ाछ पथ से थाना बिगहा मजोपाजा तक पथ का निर्माण।	0.60		67.045	3.859	70.90400
6	Nalanda	Hilsa	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन हिलसा प्रखंड के लोहण्डा धोधी, आर० ई० ओ० पथ से सरहदिया पर माया जगरनाथ टोला तक पथ निर्माण कार्य	1.714		120.187	8.993	129.1800
7	Nalanda	Hilsa	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन हिलसा प्रखंड के बेलदरिया दामोदरपुर पथ से मिलानीपुर तक पथ में पुल का निर्माण कार्य		12.60	29.10	0.00	29.1000
8	Nalanda	Hilsa	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन हिलसा प्रखंड के ग्राम दलभद्र सराय के उत्तर पैक्स गोदाम से पश्चिम पईन में पुल का निर्माण कार्य		12.60	28.63	0.00	28.6330

8
1/6/2020

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	कार्य अंचल का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि० मी० में)	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
9	Nalanda	Karai parsurai	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन करायपरशुराय प्रखंड के करायपरशुराय पी० डब्लु० डी० रोड से हाई स्कूल वाया नरसी बिगहा गाँव तक पथ का निर्माण कार्य	0.87		67.93	8.32	76.2450
10	Nalanda	Hilsa	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन हिलसा प्रखंड के हिलसा लहरा ग्राम आर० ई० ओ० रोड से [illegible] दक्षिण टोला होते हुए [illegible] के रास्ते लहरा ग्राम [illegible] लिंक रोड तक पथ का निर्माण कार्य	0.998		74.38	8.81	83.2920
11	Nalanda	Hilsa	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन हिलसा प्रखंड के [illegible] डब्लु० डी० पथ से [illegible] तक पथ का निर्माण कार्य	1.620		115.39	15.16	130.6550
12	Nalanda	Islampur	Nalanda	Hilsa	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल हिलसा के अधीन इस्लामपुर प्रखंड के अधीन [illegible] गाँव के राजु ठाकुर के घर से [illegible] हाई स्कूल तक पथ का निर्माण।	1.69		151.03	15.461	166.4910
13	Nalanda	Rajgir	Nalanda	Rajgir	नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, राजगीर के अधीन आयुध कारखाना [illegible] रोड से डिग्री कॉलेज तक पथ का निर्माण।	0.58		145.679	3.072	148.7510
		Total				11.947	22.55	1569.8931	102.2578	1672.1510

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- 103 ग्राम विकास–राज्य योजना–0105 ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

Scanned with CamScanner

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालंदा एवं मुख्य अभियंता–1 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0यो0–03–60/2020 के पृ0 सं0–05/टि0 पर दिनांक–22.05.2020 को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0यो0–03–60/2020 के पृष्ठ संख्या– 8 /टि0 पर दिनांक–29.5.2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्राक्षमित सक्षम नियंत्री पदाधिकारीयों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएगें।
17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
18. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं0 3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

ह0/– 1/6/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–60/2020 –1652 /पटना, दिनांक–01/06/2020

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 1/6/2020.

अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–60/2020 –1652 /पटना, दिनांक– 01/06/2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना जिला पदाधिकारी, नालंदा/उप विकास आयुक्त, नालंदा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA,/मुख्य अभियंता–1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ, हरनौत, हिलसा एवं राजगीर/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम0 आई0 एस0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम0 आई0 एस0 में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

ह0/– 1/6/2020.

अपर सचिव

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य वभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

पत्रांक– 669 (अं0) नालन्दा / दिनांक– 18.06.2020

प्रेषक,

ई0 अरबिन्द कुमार,
अधीक्षण अभियंता

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, हिलसा।

विषयः– **शीर्ष- राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत** स्वीकृत कुल 02(दो) अदद पुलों के निर्माण / मरम्मति कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1128 (अनु0), **दिनांक** 16.06..2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **02(दो)** अदद पुलों का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। सभी **02(दो)** अदद **पुलों का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र** के परिशिष्ट**'क'** के क्रमशः **स्तम्भ–2, 4 से 5 एवं 6** में अंकित है।

2. **प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है**,जोकि पत्र के **परिशिष्ट 'क'** के स्तम्भ **04 से 06** में अंकित है।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच कार्यपालक अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो अंचलीय कार्यालय का सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल / पुलियों स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर अंचलीय कार्यालय को सूचित किया जाये।
5. कार्यपालक अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यो के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय / अंचलीय कार्यालय को प्रत्येक माह की **5वीं** तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्बकाट एवं आडीकाट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
7. पत्र के साथ **प्रावैधिक टिप्पणी** की प्रति संलग्न है।

अनु0–परिशिष्ट ''क'' एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूलप्रति।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 18/6/2020

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

17/06/2020

Scanned with CamScanner

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:–परिशिष्ट'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:–परिशिष्ट'क' के स्तम्भ 04से 06 के अनुसार।

विवरणी

20. **प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट** 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वियन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. निर्माण कार्य **राज्य योजना (नाबार्ड)** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. कार्यारम्भ करने से पहले कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **हिलसा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से कार्यपालक अभियंता की होगी।
4. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वियन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:–

प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य

5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एवं प्री–लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
6. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
7. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
8. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
9. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में **Rural Roads SpecificationRural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
11. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात कार्यपालक अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
12. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
13. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
14. कार्यपालक अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
15. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत** की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

Scanned with CamScanner

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः–परिशिष्ट'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः–परिशिष्ट'क' के स्तम्भ 04से 06 के अनुसार।

विवरणी

20. **प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क'** के स्तम्भ **06** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वियन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. निर्माण कार्य **राज्य योजना (नाबार्ड)** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. कार्यारम्भ करने से पहले कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **हिलसा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से कार्यपालक अभियंता की होगी।
4. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण

अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य

5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एवं प्री–लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
6. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
7. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
8. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
9. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में **Rural Roads SpecificationRural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
11. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात कार्यपालक अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
12. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
13. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।,
14. कार्यपालक अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
15. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत** की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

Scanned with CamScanner

16. कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत** की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग / **BRRDA**, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
17. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
18. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन कार्यपालक अभियंता की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
19. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।
20. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
21. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
22. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
23. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
24. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण–पत्र देंगे।
25. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
26. कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

18/6/2020

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

17/06/2020

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा के अधीन राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूची:–

SI No.	Name of Scheme	Length (in m)	Administrative Approval		T.S Amount Cost (in Lakh)
			Department Ref Lett. No. / Date	Total Cost (in Lakh)	
1	2	3	4	8	9
1	Construction of RCC Culvert in Baledariya Damoderpur Path to Gilanipur	6.40	1652/01.06.20	29.10	22.034
2	Construction of RCC Culvert in Balbhadra Sarai Ke Uttar Pax Godam.	10.60	1652/01.06.20	28.633	31.749

18/6/2020
Superintending Engineer
R.W.D. Works Circle, Nalanda.

17/06/2020

Scanned with CamScanner